रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 1978/ज्यैष्ठ 12, 1900
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 1978/JYAISTHA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1978

का. आ. 369 (अ).—मैं, मा. रामचन्द्रन, प्रशासक, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 31 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (3), धारा 8 की उपधारा (6) और धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 115 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 290 (असा.), तारीख 29 अप्रैल, 1978 को अधिक्रान्त करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि इसमें विनिर्दिष्ट मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में यह अपेक्षित है :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक को मानक स्वर्ण छड़ों के रूप में प्राइमरी स्वर्ण का अनुज्ञप्त व्यवहारियों को विक्रय करने, परिदान करने, उसे स्थानान्तरित करने या अन्यथा व्ययन के लिए प्राधिकृत करता हूं, और

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार बेचे गए स्वर्ण को क्रय करने या अन्यथा अर्जित करने, स्वीकार करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए ऐसे अनुज्ञप्त व्यवहारियों को प्राधिकृत करता हूं :

परन्तु अनुज्ञप्त व्यवहारी, खण्ड (2) में निर्दिष्ट स्वर्ण को किसी अन्य अनुज्ञप्त व्यवहारी को विक्रय नहीं करेगा और न ही उसका अन्यथा व्ययन करेगा लेकिन वह—

(क) गहनों अथवा वस्तुओं अथवा दोनों को बनाने, विनिर्माण करने, तैयार करने अथवा मरम्मत करने के लिए ऐसे स्वर्ण का प्रयोग कर सकता है ;

(ख) गहनों अथवा वस्तुओं अथवा दोनों को बनाने, विनिर्माण करने, तैयार करने अथवा मरम्मत करने के प्रयोजनार्थ किसी प्रमाणित स्वर्णकार को, एक समय में ऐसे 100 ग्राम से अधिक स्वर्ण का विक्रय, परिदान अथवा अन्तरण कर सकता है ।

[संख्या 8/78/फा. सं. 131/21/78-स्वर्ण नि.-2]

मा. रामचन्द्रन, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 2nd June, 1978

S.O. 369(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 115, read with clause (iii) of the first proviso to section 31, sub-section (6) of section 8 and sub-section (2) of section 9 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 290(E), dated the 29th April, 1978, I, M. Ramachandran, Administrator, being of the opinion that special circumstances of the class of cases specified herein so require, hereby authorise—

(i) the Reserve Bank of India to sell, deliver, transfer, or otherwise dispose of, primary gold in the form of standard gold bars to licensed dealers ; and

(ii) such licensed dealers to buy or otherwise acquire accept or otherwise receive, the gold so sold by the Reserve Bank of India :

Provided that the licensed dealer shall not sell or otherwise dispose of any gold referred to in clause (ii) to any other licensed dealer but may—

(a) use such gold in the making, manufacturing, preparing or repairing of ornaments or articles or both ;

(b) sell, deliver or transfer such gold not exceeding 100 grammes at a time to a certified goldsmith for the purpose of making, manufacturing, preparing or repairing of ornaments or articles or both.

[No. 8/78/F. No. 131/21/78-GC. II]

M. RAMACHANDRAN, Gold Control Administrator

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978